

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-F.2(6356)/DoIT/Estt./14/PartI/94

जयपुर, दिनांक : 17-02-2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नलिखित सूचना सहायकों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। निम्न सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

क्र.सं	मेरिट क्रमांक	नम कार्मिक	परीक्षा का नाम जिसकी अनुमति चाही गई	पदस्थापन स्थान
1	1388	सतीश शर्मा	MNIT Scientific/Technical Officer Exam 2020-21	मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर
2	3034	शिल्पी शर्मा	REET 2021 (Rajasthan Board)	दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरीडोर विभाग, उद्योग भवन, जयपुर
3	3284	सविता राव	Forester & Forest Guard 2020 (RSMSSB)	कार्यालय निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर
4	NewBatch 2018	सरोज यादव	Stenographer 2018 (RSMSSB)	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
5	NewBatch 2018	शुभम तलवारिया	TGT Computer Science 2020 (DSSSB)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर
6	NewBatch 2018	स्वाति शर्मा	NTPC 2019 (RRB)	MCDW, राजस्थान मेडिकल सविसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीकानेर
7	NewBatch 2018	सुमित चतुर्वेदी	Stenographer 2018 (RSMSSB)	कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं शासन सचिव, उद्योग भवन, जयपुर

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा से राज सेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(विवेक कुमार)  
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, संबंधित विभाग।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित सूचना सहायक/संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(विवेक कुमार)  
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)